

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 - 17/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर		1 श्रीराम पुत्र लिखमा मेघवाल निवासी लालावास, खींवसर। 2 रुकमा पत्नि श्रीराम मेघवाल निवासी लालावास, खींवसर।

उपस्थिति-

- 1- श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
- 2- श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 01-12-2017

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा लालावास की मिसल बन्दोबस्त संवत् 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार ग्राम लालावास के खसरा नं. 225 रकबा 842.08 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही है। जो जमाबंदी संवत् 2058-61 में रकबा 386.14 बीघा गै.मु. मगरा भूमि रही है। ग्राम लालावास में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में आदेश क्रमांक 30 दिनांक 13.6.02 को गैर खातेदारी आधार पर आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 497 खसरा नं. 225/919 रकबा 3 बीघा दर्ज किया गया है। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश क्रमांक 872 दिनांक 18.12.10 के क्रम में नामान्तरकरण सं. 748 के गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त आवंटन काजरी मेन्युअल की पालना के अभाव में आवंटन/नियमन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः आवंटन व खातेदारी निरस्त कर भूमि वापस राजकीय दर्ज किये जाने हेतु यह रेफरेन्स राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से श्री बाबूलाल भादू ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब दिनांक 19.07.17 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ खतौनी मिसल बन्दोबस्त संवत् 2020 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत् 2058-61 की फोटोप्रति, प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प का आवंटन आदेश दिनांक 13.6.02 की प्रति, आवंटन आदेश प्रारूप 5 "ख" नियम 20 की प्रति, नामान्तरकरण सं. 497 व 748 की फोटोप्रति, जमाबंदी, गिरदावरी संवत् 2070-73 की प्रति व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.8.01, दिनांक 28.5.02, 31.7.02, 23.5.02 की फोटोप्रतियां पेश की गई।

(3) उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि -

(3)(1) मिसल बन्दोबस्त संवत् 2020 के खाता सं. 125 व 126 के अनुसार आराजी भूमि ग्राम लालावास के खसरा नं. 225 रकबा 842.08 बीघा गै.मु. मगरा दर्ज रही है। जो संवत् 2058-61 में रकबा 386.14 बीघा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास में दिनांक 13.6.02 को उक्त आराजी में से खसरा नं. 225/919 रकबा 3 बीघा अप्रार्थीगण को आवंटन /नियमन किये जाने से नामान्तरकरण सं. 497 गैर खातेदारी व नामान्तरकरण सं. 748 गैर खातेदारी से खातेदार अंकित किया गया है।

(3)(2) राजकीय वकील द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र

Page 1 of 6



अपर कलक्टर, नागौर

क्रमांक प.6(6) राज-6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा संरक्षण मैन्युअल (Soil Survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण किया गया है। जिनमें से श्रेणी सं. 1 से 4 तक की भूमियों का आवंटन एवं नियमन किये जाने के लिये जिला कलक्टर की देखरेख में चिन्हीकरण के पश्चात जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात ही आवंटन किये जाने के प्रावधान रहे हैं। तत्समय काजरी द्वारा भूमियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में राजस्व (गुप-6) द्वारा दिनांक 28.5.02 को एक परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि जहां पर प्रतिबंधित 5 से 8 श्रेणी की भूमि उपलब्ध है या ऐसे गांव जहां श्रेणियों की पहचान खसरा नं. के अनुसार संभव नहीं है तथा कई स्थानों पर काजरी ने श्रेणियां निर्धारित नहीं की है। ऐसे क्षेत्रों में आवंटन योग्य भूमि चिन्हित करने के लिये तहसील स्तरीय भू चिन्हित समिति का गठन किया गया था तथा समिति की रिपोर्ट का जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति में प्रस्तावों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के तहत आवंटन नियमन की कार्यवाही की जा सकती थी। मगर उक्त आवंटन नियमन से पूर्व न तो तहसील स्तरीय समिति द्वारा भूमि का चिन्हिकरण किया गया है तथा न ही सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध है।

(3)(3) उक्त परिपत्र दिनांक 27.8.01 के तहत मगरा किस्म की भूमियों को नियमितकरण नहीं किये जाने के निर्देश होते हुए भी नियमन/आवंटन किया गया है जो कानूनन गलत होने से निरस्तनीय है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को पुनः भिजवाया जावे।

(4) वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि -

(4)(1) तहसीलदार खीवसर ने धारा 82 राज.भू.राज.अधिनियम के तहत वर्तमान प्रकरण के अप्रार्थीगण सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सरासर मिथ्या आधारों पर विधि विरुद्ध करते हुए करीब 17 रेफरेन्स आवेदन पेश किये हैं। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही व प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अल्बता यह सही है कि प्रश्नगत भूमि गै. मु. मगरा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मगर उक्त गै.मु. मगरा भूमि पर अप्रार्थीगण सहित गांवा के अन्य लोगो का उनके पूर्वजों के समय का सेटलमेंट से पूर्व से ही कब्जा काश्त निरंतर बिना किसी रोक-टोक के शांतिपूर्वक रहता चला आया है, ये लोग अपनी-अपनी कब्जासुद भूमियों पर काश्त करसण कर अपने परिवार का जीवन यापन करते आये हैं, ग्रामीण परिवेश के गरीब किसान वर्ग के लोग हैं। चूंकि शुरू से ही यह भूमि काबिल काश्त भूमि रही है। अन्य किसी उपयोग उपभोग की भूमि नहीं रही है। न ही आज दिन है। इस प्रकार तहसीलदार का उक्त आवेदन सर्वथा मिथ्या आधारों पर मौके की स्थिति के विपरीत व विधि विरुद्ध पेश किया होने से विधि सम्मत नहीं है व स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपास्त किया जावे।

(4)(2) जहां तक राजस्व रेकर्ड का प्रश्न है, खतौनी संवत 2058-61 गांव लालावास में प्रश्नगत भूमि गै.मु. मगरा दर्ज है तथा इस खसरे की भूमि को अप्रार्थीगण सहित दीगर काश्तकारों को खातेदारी प्रदान की गई है। क्योंकि उक्त खसरो की भूमि शुरू से ही काबिल काश्त भूमि रही है, काश्तकारों का शुरू से ही कब्जा काश्त रहा है, यह भूमि सरकारी व सार्वजनिक उपयोग एवं अन्य उपयोग की भूमि नहीं रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2002 केम्प लालावास में किये गये कथित आदेश को विधिवत रूप से आवंटन कमेटी का गठन कर अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों के पक्ष में विधिनुसार आवंटन किया गया था, तत्पश्चात विधिक के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी दर्ज करते हुए नामान्तरकरण भर कर खातेदारी प्रश्नगत आराजी के रकबा विशेष की



अपर कलक्टर, नागौर

आवंटन व नियमन कर गैर खातेदार के रूप में दर्ज की गई है, इस प्रकार विधिनुसार अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकार सहअधिकार काबिज है व काश्त करसण कर रहे है। भूमि काबिल काश्त है। अन्य किसी प्रयोजनार्थ काम नही आ रही है। इन परिस्थितियों में भी अब इस तरह का आवेदन तहसीलदार द्वारा पेश करना किसी भी सूरत में विधि सम्मत नही है, खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान-2010 में तहसीलदार खीवसर के आदेश की पालना में ही संबंधित नामान्तरकरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई है। जिससे भी यह साबित है कि अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का आवंटन से पूर्व व पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहता चला आया है। उक्त भूमि पर अन्य किसी प्रकार का कोई उपयोग, उपभोग, रहवास, आवास व कानूनी प्रावधानों अनुसार किसी प्रकार की अडचन व बाधा नही होने से उक्त खसरे की भूमि केवल मात्र काबिल काश्त भूमि रही है। गांव लालावास की खतौनी संवत् 2070 से 2073 में भी प्रश्नगत आराजी किस्म काबिल काश्त रही है। जिस पर अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का कदीम से लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा आवंटन विधिक प्रक्रिया के तहत बाद जांच किया गया था। जो विधिसम्मत था व है जिसको अब इतनी लंबी अवधि पश्चात ऐसे आवेदन के जरिये चुनौती देने का तहसीलदार को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों के विरुद्ध आवेदन पेश कर उनको अनावश्यक तंग परेशान किया गया है।

(4)(4) राज. सरकार राजस्व(गुप-6) विभाग परिशिष्ट-24 जिला कलक्टर, जोधपुर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, नागौर, पाली एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर, बीकानेर, अजमेर परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज.-6/97/7 जयपुर दिनांक 27.8.01 को एक परिपत्र जारी कर मरुस्थलीय जिलों में आवंटन एवं नियमन पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता के संबंध में राज्य सरकार के क्रमांक प.6(9)राज-6/76 दिनांक 21.4.76 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आठ मरुस्थलीय जिलों में स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि, गै.मु. भूमि, चारागाह भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन व नियमन करने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर को दिये गये।

प्रकरण हाजा के प्रश्नगत खसरा की भूमि केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा सर्वेक्षण मेन्युअल से मुक्त करते हुए उपरोक्त किस्म की भूमियों की श्रेणियां जो आठ है। जिसमें से श्रेणी सं. 1, 2, 3 व 4 यानि की सिवाय चक भूमि, गै.मु. भूमि, चारागाह भूमि को काजरी मेन्युअल से मुक्त कर काबिज काश्तकार व्यक्तियों को कलक्टर की देखरेख में तहसीलदार को आवंटन व नियमन करने का परिपत्र जारी किया गया। इसलिये उक्त आवंटन में काजरी मेन्युअल की कोई बाधा नही है। इसलिये उक्त आवंटन व नियमन वैध व विधि सम्मत होने से प्रार्थी तहसीलदार का उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(5) राज. सरकार राजस्व (गुप-6) विभाग क्रमांक पी. 7(10)राज-6/2002 जयपुर दिनांक 23.5.02 के संबंध में भी मरुस्थलीय जिले जोधपुर, बाडमेर, नागौर, जालोर, बीकानेर, पाली को शासन सचिव द्वारा परिपत्र जारी कर उक्त जिलों में काजरी मेन्युअल की कोई बाध्यता नही होने व काजरी मेन्युअल की बाध्यता से मुक्त करते हुए काबिज काश्तकारों को गै.मु. मगरा भूमि आवंटन करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किया।

(4)(6) हस्तगत प्रकरण में किये गये आवंटन में किसी भी प्रकार के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नही किया गया है। क्योंकि उक्त आवंटनसुदा भूमि राजकीय परिपत्रों से काजरी मेन्युअल



h
अपर कलक्टर, नागौर

से मुक्त कर समय-समय पर उक्त भूमि कब्जासुदा व्यक्तियों को आवंटन करने के परिपत्र जारी किये गये उक्त परिपत्रों के नियमों व दिशा-निर्देशों अनुसार ही जिला कलक्टर द्वारा कमेटी गठित कर मौका मुआयना कर वाजिब काबिज काश्तकार को आवंटन किया गया है। जिसमें नियमन कमेटी में तहसीलदार संयोजक, विधायक, प्रधान व संबंधित सरपंच सदस्य है तथा संपूर्ण नियमन की कार्यवाही नियमानुसार कर आवंटन व नियमन किया गया है। ऐसी स्थिति में अब उक्त आवंटन खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को कानूनी प्रावधानों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है।

(4)(7) उक्त आवंटन कमेटी में तहसीलदार स्वयं संयोजक व कमेटी प्रधान है तथा नियुक्त कमेटी द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में नियमन किया गया है तथा अब प्रार्थी तहसीलदार स्वयं है तथा कानूनी प्रावधानों के तहत स्वयं की अध्यक्षता में किया गया नियमन स्वयं प्रार्थी तहसीलदार पक्षकार बनकर आवेदन पेश करने का कोई अधिकार तहसीलदार को नहीं रहा है न ही तहसीलदार स्वयं ऐसा आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रार्थना पत्र कानूनन संघर्ष भी नहीं है। जिससे इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(8) उक्त आवंटन दिनांक 13.6.02 को आवंटन कमेटी लालावास के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2002 में किया गया। जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा सन 2002 में गैर खातेदारी दर्ज की व उसके पश्चात अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का मौके पर लगातार कब्जा काश्त होने से प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपरोक्त नामान्तरकरण के जरिये गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किया गया। इस प्रकार दिनांक 13.6.02 से आज दिन तक अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों का संबंधित भूमि के अलग अलग रकबों पर कब्जा काश्त निरंतर निर्बाध रूप से अधिकारस्वरूप रहता आया है, आवंटन व नियमन हुए इस आवेदन के पेश होने तक 16 वर्ष हो चुके हैं। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा इतनी लंबी अविधि पश्चता ऐसा आवेदन पेश किया जाना स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। मियाद बाबत प्रार्थी तहसीलदार ने कोई आवेदन भी पृथक से पेश नहीं किया है। प्रार्थी तहसीलदार को इस आवंटन/नियमन व मौके पर भूमि काबिल काश्त होने आदि की पूरी जानकारी भी रही है। इसके बावजूद मियाद बाहर आवेदन आधे अधूरे तथ्यों पर पेश किया गया है। जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(9) प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन धारा 82 एलआर एक्ट के तहत पेश किया है। जो विधिनुसार चलने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें धारा 232 व धारा 9 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधि सम्मत व विधिनुसार अपेक्षित है। एक बार किसी भी व्यक्ति को आवंटन व नियमन करने के पश्चात उसे गैर खातेदार घोषित किया जाता है व नियमानुसार उसका कब्जा काश्त होने से उसे गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की जाती है। राज. भू राजस्व अधि. एवं कृषि भूमि का आवंटन व कृषि प्रयोजनार्थ नियमन के तहत अगर एक बार खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं तो धारा 82 एलआर एक्ट के तहत उसे खारिज नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि उसके लिये कानूनी प्रावधानों के तहत वाद दायर करना पडता है और उस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र संबंधित सहायक कलक्टर (एसडीओ) को होता है। इसलिये इस बिन्दु के आधार पर भी वर्तमान रेफरेन्स आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(10) अप्रार्थीगण सहित संबंधित काश्तकारों के विरुद्ध तहसीलदार ने जो हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है वह केवल मात्र प्रशासनिक आदेश जिला कलक्टर नागौर द्वारा रेफरेन्स पेश करने का हवाला देकर आवेदन पेश किया है। जबकि राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रों को ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में जो आदेश जिला कलक्टर नागौर द्वारा रेफरेन्स हेतु दिया गया



अपर कलक्टर, नागौर

है। वह आदेश राज. राजस्व ग्रुप के परिपत्र दिनांक 27.8.01 के अनुसार गैर कानूनी है। ऐसा करने का जिला कलक्टर नागौर, एसडीओ खीवंसर व तहसीलदार खीवंसर को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त परिपत्रों को ध्यान में नहीं रखा गया है। उक्त परिपत्रों के अनुसार हस्तगत भूमि काजरी मेन्युअल के अधीन नहीं आकर उससे मुक्त की गई है। जिससे भी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(11) प्रार्थी तहसीलदार द्वारा जो रेफरेन्स आवेदन पेश किया गया है। वह विधिनुसार प्रार्थना पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। केवल मात्र एक साइक्लॉ स्टाइल परफोरमा आवेदन पेश किया गया है। जो आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है। न तो इसका प्रमाणीकरण किया गया है। न ही अंत में कोई अनुतोष ही चाहा गया है। न ही ऐसे कोई कानूनी प्रावधान बताये है। न ही ऐसे प्रार्थना पत्र के समर्थन में तहसीलदार ने अपना शपथ पत्र ही पेश किया है। इसलिये भी यह प्रार्थना पत्र/रेफरेन्स आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

(4)(12) रेफरेन्स में विशेष आपत्ति काजरी मेन्युअल को ध्यान में नहीं रखे जाने का हवाला दिया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में राजस्व ग्रुप 6 विभाग राज. सरकार द्वारा दिनांक 27.8.01 को क्रमांक प6(6)राज.6/97/7 के द्वारा राज. भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में कृषि भूमि पर राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 से संबंधित प्रावधान में संशोधन करते हुए जिला जोधपुर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, नागौर, पाली में आने वाली भूमियां सिवाय चक भूमि, गै.मु. भूमि, चारागाह भूमि को आवंटन योग्य माना है। इसलिये उक्त एतराज रेफरेन्सकर्ता तहसीलदार का चलने योग्य नहीं है।

(4)(13) इस संबंध में समय समय पर माननीय राजस्व मंडल अजमेर माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत पारित किये हैं। जिनकी रोशनी में तहसीलदार का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हो जाता है। इस संबंध में अपने कथन के समर्थन में निम्न नजीरे प्रस्तुत की है-

1-आरआरटी 2011-12 सप्लीमेंट्री पेज 690 में पारित निर्णय अनुसार रेफरेन्स के जरिये खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है तथा 9 वर्ष विलंब के बाद भी माननीय राज. उच्च न्यायालय ने रेफरेन्स को मियाद बाहर मानकर खारिज किया है।

2-आरआरटी 2013(1) पेज 468 में पारित निर्णय के अनुसार रेफरेन्स के जरिये भूमि वापस नहीं ली जा सकती है तथा अधिनियम की धारा 54 में संशोधन के द्वारा ही वापस ली जा सकती है।

3-आरआरटी 2017(1) पेज 314 इसमें भी 11 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेन्स को मियाद बाहर माना है।

4-आरआरटी 2017(1) पेज 182 में यह माना है कि नामान्तरकरण को रेफरेन्स के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5-आरआरटी 2017(1) पेज 73 में यह माना है कि गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश हेतु रेफरेन्स पेश नहीं किया जा सकता है, 18 वर्ष के बाद रेफरेन्स को मियाद बाहर माना है।

(5) राजकीय अधिवक्ता द्वारा वकील अप्रार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए बताया गया कि रेफरेन्स के मामले में मियाद निर्धारित नहीं है तथा आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध होने से ऐसे आदेश को कभी भी चलेन्ज कर निरस्त करवाया जा सकता है।

(6) उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के दौरान



अपर कलक्टर, नागौर

केम्प लालावास दिनांक 13.6.02 को अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम लालावास के खसरा नं. 225 में से 3 बीघा भूमि आवंटन/नियमन की गई। जिसकी खातेदारी नामान्तरकरण सं. 497 स्वीकृति दिनांक 11.11.02 के नये खसरे नं. 225/919 रकबा 3 बीघा कायम कर गैर खातेदारी दी गई है। तत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 748 स्वीकृति दिनांक 18.12.10 के खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। प्रश्नगत भूमि की किस्म गै.मु. मगरा होना मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 व खतौनी संवत 2058-61 से स्पष्ट है। जिसकी पुष्टि खतौनी (जमाबंदी) संवत 2058-61 से रेकॉर्ड से होना स्पष्ट है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 27.8.01 के अनुसार चारागाह, वन, अंगौर, तालाब, जोहड, पायतन, पहाड, मगरा, भाकर आदि किस्म की भूमियों को सामान्यतः नियमितकरण नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जबकि आराजी किस्म की भूमि गै.मु. मगरा है। जो नियमितकरण योग्य नहीं होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन/नियमन किया गया है। जो विधि विरुद्ध है।

राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर के मृदा संरक्षण मेन्युअल (Soil Survey Manual) के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण किया गया है। जिनमें से श्रेणी सं. 1 से 4 तक की भूमियों का आवंटन एवं नियमन किये जाने के लिये जिला कलक्टर की देखरेख में चिन्हीकरण के पश्चात जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति के अनुमोदन पश्चात ही आवंटन किये जाने के प्रावधान रहे हैं। तत्समय काजरी द्वारा भूमियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में राजस्व (गुप-6) द्वारा दिनांक 28.5.02 को एक परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि जहां पर प्रतिबंधित 5 से 8 श्रेणी की भूमि उपलब्ध है या ऐसे गांव जहां श्रेणियों की पहचान खसरा नंबर के अनुसार संभव नहीं है तथा कई स्थानों पर काजरी ने श्रेणियां निर्धारित नहीं की है। ऐसे क्षेत्रों में आवंटन योग्य भूमि चिन्हीत करने के लिये तहसील स्तरीय भू चिन्हीत समिति का गठन किया गया था तथा समिति की रिपोर्ट का जिला स्तरीय आवंटन अनुमोदन समिति में प्रस्तावों पर विचार के पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के तहत आवंटन नियमन की कार्यवाही की जा सकती थी। मगर उक्त आवंटन/नियमन से पूर्व उक्त भूमि की श्रेणी यथा 1 से 8 में से किस श्रेणी में आती है, का निर्धारण काजरी से नहीं करवाया है तथा न ही तहसील स्तरीय भूमि चिन्हीकरण समिति द्वारा प्रकरण जिला स्तरीय एलोटमेन्ट कमेटी को प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार आवंटन/नियमन से पूर्व काजरी मेन्युअल/भूमि चिन्हीकरण से संबंधित कार्यवाही किये बिना ही आवंटन/नियमन किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। जिसके अभाव में आवंटन/नियमन की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी।

(7) उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा लालावास के खसरा नंबर 225 गैर मुमकिन मगरा में से वर्तमान खसरा नंबर 225/919 किस्म गै.मु. मगरा रकबा 3 बीघा भूमि का प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मुण्डवा प्रशासन गांवों के संग उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में केम्प लालावास पर जारी आवंटन आदेश दिनांक 13.6.2002 के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन व इसके आधार पर भरे गये ग्राम लालावास के नामान्तरकरण सं. 497 दिनांक 11.11.02 व नामान्तरकरण सं. 748 स्वीकृति दिनांक 18.12.2010 निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

(8) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर